राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 215/2024
GCMS No. 2024/435

ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल उम्र 51 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूधवा, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

........वादी

ब–ना–म

1. शिवलाल पुत्र रामेश्वर उम्र .... वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूधवा, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर उम्र .... वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूधवा, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

वकील वादी :– श्री हेमराज सिंह

वकील प्रतिवादी :– श्री प्रवीण सिंह शेखावत

:: निर्णय :: **दिनांक :– 11–03–2025**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा नांगलिया, तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 1134 मी रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 का हकपूर्वाधिकारी महादा पुत्र श्योजी खुद काबिज रहकर काश्त करता था जो जमाबन्दी संवत् 2026–30 व 2031–34 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 1134 मी रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के हाल पैमाईश के बाद हाल खसरा नंबर 887 [illegible] 0.4600 है0 बने हैं जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। वर्तमान में वाके ग्राम दूधवा की जमाबन्दी [illegible] साला संवत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता संख्या नया [illegible] रकबा 0.4600 है0 में वादी का स्वर्गीय पिता मनोहरलाल हिस्सा 1/3 का [illegible]तिवादी सं. 1 हिस्सा 1/3 का तथा प्रतिवादी सं. 2 हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि गत खसरा नंबर 1134 मी रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा [illegible] वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 का हकपूर्वाधिकारी महादा पुत्र श्योजी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों रामेश्वर, मनोहरलाल पुत्रान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

महादाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ तथा बाद में रामेश्वर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र, शिवलाल पुत्रान रामेश्वर तथा मनोहरलाल पुत्र महादाराम का नाम दर्ज हुआ जो जमाबन्दी संवत् 2070–73 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके बाद से उक्त तीनों मनोहरलाल, राजेन्द्र व शिवलाल उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी के पिता मनोहरलाल का 1/2 हक व हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 2 का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। वादी का पिता मनोहरलाल पुत्र महादाराम दिनांक 29.08.2021 को फौत हो चुका है जिसका वादी विधिक वारिश है। रोमीगेशन के बाद राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन दर्ज करते समय उक्त वर्णित वाके ग्राम दूधवा की जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता संख्या नया 521 के हाल खसरा नंबर 887 रकबा 0.4600 है0 में सहवन से टंकीणीय त्रुटि के कारण या राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी के पिता मनोहरलाल का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हो गया है जबकि उक्त भूमि मे वादी के पिता मनोहरलाल का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का गलत हिस्सा दर्ज होने से वादी को भारी हकतलफी है। इसलिए वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता मनोहरलाल का सही हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है तथा विरासतन का नामांतरकरण दर्ज करवाना चाहता है जिसके लिए वादी को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम दूधवा, पटवार हल्का दूधवा नांगलिया, तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता संख्या नया 521 के हाल खसरा नंबर 887 रकबा 0.4600 है0 भूमि में वादी के स्व. पिता मनोहरलाल का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 ने जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम दूधवा, पटवार हल्का दूधवा नांगलिया, तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता संख्या नया 521 के हाल खसरा नंबर 887 रकबा 0.4600 है0 भूमि में वादी के स्व. पिता मनोहरलाल का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे इसके लिए प्रतिवादी सहमत है तथा प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी सं. 3 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/1170 दिनांक 26.09.2024 से जांच रिपोर्ट [illegible] तथा नांगलिया भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में द[illegible] नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 521 मय खसरा नक[illegible] नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031–34, संवत् 2027 [illegible] प्रबन्ध विभाग ग्राम दूधवा नांगलिया, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मनोहरलाल, फोटो [illegible] परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड (ओमप्रकाश) पेश किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांक: 1170 दिनांक 26.09.2024 के साथ संलग्न पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया की फर्द जांच रिपोर्ट के द्वारा राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4 शिवलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, मनोहर पुत्र म्हादाराम हिस्सा 1/2 किया जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। राजस्व ग्राम दूधवा की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 521 में वादी के पिता मनोहरलाल का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2, प्रतिवादी सं. 1 शिवलाल पुत्र रामेश्वर का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 व प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **दूधवा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 521 खसरा नंबर 887 रकबा 0.4600 है0 में वर्तमान में वादी के पिता मनोहरलाल पुत्र महादाराम का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 शिवलाल पुत्र रामेश्वर का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

ओमप्रकाश

ब–ना–म

शिवलाल आदि

दावा बाबत घोषणात्मक **रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **215 / 2024** **GCMS No. 2024 / 435**

निर्णय दिनांक :– **11–03–2025**

वादी की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से **श्री प्रवीण सिंह शेखावत एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **11–03–2025** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 521 खसरा नंबर 887 रकबा 0.4600 है0 में वर्तमान में वादी के पिता मनोहरलाल पुत्र महादाराम का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 शिवलाल पुत्र रामेश्वर का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर का दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **11–03–2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं